प्रवेश नियम

1. प्रवेशार्थी को अपना प्रवेश आवेदन पासपोर्ट साइज फोटो (परिचय-पत्र के लिए एक अतिरिक्त) तथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की (स्वहस्ताक्षरित एवं किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित) प्रतिलिपि सहित प्रात: 9.00 बजे से 2.00 बजे तक सम्बन्धित प्रवेशाधिकारी (प्रवेश समिति के लिए देखें पृष्ठ कवर) के समक्ष पंजीकरण/प्रवेश हेतु प्रस्तुत करना होगा।

2. पंजीकरण/प्रवेश शुल्क उसी दोपहर 3.00 बजे तक जमा करना होगा। जो प्रवेशार्थी किसी कारणवश उस दिन शुल्क जमा नही कर पाता है, उसे पुन: प्रवेश अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. एम॰ एस-सी॰ प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों को रु॰ 25/- नकद जमा कर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

4. (क) कोई भी प्रवेशार्थी कॉलेज का स्थायी सदस्य तभी माना जाएगा, जब उसका प्रवेश के लिए दिया गया आवेदन-पत्र प्रवेश नियमों के अनुसार प्रवेशाधिकारी/प्राचार्य द्वारा स्वीकृत हो जाए तथा वह कॉलेज द्वारा निर्धारित शुल्क एवं प्राचार्य द्वारा मांगे गए प्रपत्र (जैसे स्थानांतरण प्रमाणपत्र तथा प्रव्रजन प्रमाणपत्र) जमा कर दे तथा प्रवेश के समय ही अपना फोटो युक्त परिचय पत्र बनवा ले।

   (ख) किसी प्रवेशार्थी द्वारा कोई धनराशि जमा करने का यह अर्थ नहीं होगा कि कॉलेज की किसी कक्षा में प्रवेश या पुन: प्रवेश पाने का उसे अधिकार प्राप्त हो गया।

   (ग) किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश के पश्चात् विषय या संकाय में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

5. किसी भी स्वयंनिर्भर विदेशी को किसी भी कक्षा में तब तक प्रवेश नहीं मिल सकेगा, जब तक वह कुलपति, चौ॰ चरण सिंह विश्वविद्यालय से प्रवेश स्वीकृति नहीं प्राप्त कर लेता।

6. प्रवेश में आरक्षण की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमों के अनुसार प्रदान की जाएगी (देखें पृष्ठ 21)।

7. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जाति के प्रवेशार्थियों को आय का नवीनतम प्रमाणपत्र तथा जाति प्रमाणपत्र मूल रूप से प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ लगाने होंगे, अन्यथा उन्हें शुल्क सम्बन्धी कोई लाभ नहीं मिल सकेगा।

8. अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग तथा पिछड़ी जाति के (न्यूनतम अर्हता सम्पन्न) प्रवेशार्थियों के अपेक्षित कक्षा में आवेदन न करने पर अवशिष्ट स्थान अन्य प्रवेशार्थियों द्वारा भरे जा सकते हैं।

9. **जिन प्रवेशार्थियों ने गत वर्ष कहीं अध्ययन नहीं किया है अथवा उनके द्वारा अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त यदि एक वर्ष से अधिक अध्ययन-अन्तराल (Gap) है, तो उन्हें किसी भी दशा में कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल सकेगा।**

10. यदि किसी प्रवेशार्थी ने नियमित विद्यार्थी के रूप में स्नातकोत्तर डिग्री पहले ही अर्जित कर रखी हो अथवा किसी एक अथवा एकाधिक स्नातकोत्तरीय डिग्री के लिए नियमित विद्यार्थी के रूप में दो वर्ष तक अध्ययन किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को किसी ऐसी स्नातकोत्तरीय डिग्री के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसके लिए व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में अध्ययन करने की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की हुई हो।

11. यदि कोई विद्यार्थी स्नातकोत्तरीय डिग्री के लिए किसी ऐसे विषय में प्रवेश लेना चाहता हैं जिसमें व्यक्तिगत रूप से परीक्षा देने की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उस विषय में प्रवेश तभी दिया जाएगा जब वह विषय उसने स्नातक स्तर पर पढ़ा हो।

12. **जिस विषय में प्रयोगात्मक परीक्षा पाठ्यक्रम का अंग हो उसमें स्नातकोत्तरीय डिग्री के लिए प्रवेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उस विषय के साथ अर्हकारी परीक्षा 45% न्यूनतम अंकों से उत्तीर्ण न की हो।**

13. यदि कोई छात्र किसी कक्षा में अपेक्षित उपस्थिति प्राप्त कर लेता है किन्तु उस कक्षा में विश्वविद्यालय की परीक्षा में नहीं बैठ पाता या अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे उस खण्ड में उस पाठ्यक्रम विशेष के नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह पाठ्यक्रम उसे भूतपूर्व छात्र (ex-student) के रूप में ही पूरा करना पड़ेगा।

14. महाविद्यालय में प्रवेश मैरिट/सीट संख्या के आधार पर होगा। विश्वविद्यालय के नियमों के विरुद्ध अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट संख्या से अधिक किसी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उसे विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुलपति को नियम-विरुद्ध हुए प्रवेश को रद्द करने का अधिकार होगा।

15. किसी छात्र का कार्य या आचरण असन्तोषजनक होने पर उसे विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के प्रावधानानुसार कॉलेज से निकाला जा सकता है।

16. प्राचार्य ऐसे किसी भी प्रवेशार्थी को कॉलेज में प्रवेश से वंचित कर सकते हैं जिसका प्रवेश कॉलेज अनुशासन के हित में न हो।

17. प्रवेश सम्बन्धी सूचनाएँ कॉलेज नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएँगी। किसी भी प्रवेशार्थी को व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया जाएगा।

18. सम्पूर्ण शैक्षिक सत्र में छात्रों से सम्बन्धित अवकाश, परीक्षा फार्म भरने/न भरने, उपस्थिति, अपूर्ण आदि की सूचना नोटिस बोर्ड पर समय-समय पर लगाई जाएगी। छात्रों का कर्त्तव्य है कि वे नियमित रूप से नोटिस बोर्ड देखें। किसी भी छात्र को व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया जाएगा।

विषय अथवा सैक्शन में परिवर्तन

छात्रों को विषय का चयन सोच-विचार कर करना चाहिए, क्योंकि बाद में परीक्षा फार्म में भी इन्हीं विषयों को भरना होगा। यदि कोई छात्र प्रवेश-पत्र में भरे गए विषयों से भिन्न कोई विषय अपने परीक्षा फार्म में भर देता है तो त्रुटि के दुष्परिणाम के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। विषय के चयन के लिए आरम्भ में दिये गये नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

साधारणतः एक बार लिये विषय तथा निश्चित किये सैक्शन में परिवर्तन नहीं होगा। यदि बहुत ही विशेष कारण से किसी छात्र को विषय अथवा सैक्शन में परिवर्तन कराना हो तो इसके लिए प्रवेश के पश्चात् 15 दिन के अन्दर प्रार्थना-पत्र देना होगा। उक्त तिथि के पश्चात् ऐसे प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

महाविद्यालय की विशेषताएँ

पुस्तकालय

हमारे महाविद्यालय के पास अपना एक भव्य पुस्तकालय है, जिसमें छात्रों के उपयोग के लिए सभी विषयों की आवश्यक पुस्तकें उपलब्ध हैं। महाविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले समस्त विषयों के अतिरिक्त सामान्य पुस्तकें, संदर्भ ग्रन्थ तथा दुर्लभ पुस्तकें भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। बुक बैंक योजना के अन्तर्गत कॉलेज के निर्धन विद्यार्थी गत कई वर्षों से लाभान्वित हो रहे हैं। पुस्तकालय से एक विद्यार्थी को एक बार में दो पुस्तकें चौदह दिन के लिए उपलब्ध होती हैं। चौदह दिन की नियत अवधि में पुस्तक न लौटाने पर प्रति पुस्तक एक रुपया प्रतिदिन दण्डस्वरूप देय है। इसके अतिरिक्त, वाचनालय की भी व्यवस्था है। स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के अनेक दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएँ और विभिन्न विषयों के Journals तथा Periodicals प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं।

प्रयोगशालाएँ

कॉलेज के पास भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा औद्योगिक रसायन विज्ञान की सुसज्जित प्रयोगशालाएँ हैं। रसायन विज्ञान विभाग तथा औद्योगिक रसायन विज्ञान विभाग के पास पृथक्-पृथक् गैस प्लांट भी हैं। स्नातकोत्तर रसायन विज्ञान कक्षाओं तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्व० श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा द्वारा हुआ था। इन प्रयोगशालाओं का निर्माण मोहन मीकिन ब्रुअरीज लि० के प्रबन्ध निदेशक ब्रिगेडियर डा० कपिल मोहन द्वारा कराया गया था और इसी से एम०एस-सी० कक्षाएँ तथा शोध कार्य प्रारम्भ हो सके हैं।

पाठ्येतर कार्यक्रम

छात्रों को विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमातिरिक्त कार्यक्रमों के लिए अवसर प्रदान किये जाते हैं। वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि आयोजित की जाती हैं। समय-समय पर विशिष्ट व्यक्तियों के भाषण भी कराये जाते हैं। गत वर्षों में हिन्दी विभाग द्वारा अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक सम्मेलनों का आयोजन किया जाता रहा है। सन् 1978-79 में उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद एवं चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय संस्कृत परिषद का वार्षिक अधिवेशन इस महाविद्यालय में आयोजित हुआ। समय-समय पर सेमिनार एवं गोष्ठियाँ आदि भी आयोजित की जाती हैं।

शिक्षक संरक्षक योजना

कालेज के शिक्षकों से छात्रों को आवश्यक मार्गदर्शन मिलता रहे, इस बात को दृष्टि में रखकर शिक्षक संरक्षक योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत छात्रों के समूह को एक शिक्षक (ट्यूटर) के संरक्षण में रखा जाता है। शिक्षक अपने समूह के छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने में उपयोगी परामर्श और मार्गदर्शन करते हैं। कालेज से शुल्क मुक्ति अथवा कोई अन्य सुविधा प्राप्त करने के लिए छात्रों को अपने प्रार्थना-पत्र पर अपने ट्यूटर की संस्तुति करानी होगी। प्रार्थना-पत्र आदि भी ट्यूटरों के माध्यम से प्राप्त किए जाएँगे।

अनुशासन परिषद्

कालेज प्रांगण में अनुशासन बनाए रखने और विद्यार्थियों में उचित संस्कारों का विकास करने के लिए महाविद्यालय के शिक्षकों के संरक्षण में अनुशासन परिषद का गठन किया जाता है। इस समिति में वरीयता के आधार पर योग्य छात्रों को चीफ प्रीफेक्ट, जनरल सेक्रेटरी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी व सीनियर प्रीफेक्ट के रूप में चयन किए जाने की व्यवस्था है।

छात्र-कल्याण परिषद्

यह परिषद छात्रों के कल्याण हेतु शुल्क-मुक्ति, रेलवे कन्सेशन, छात्रवृत्तियों आदि विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करती है। विशेष रूप से निर्धन छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता दी जाती है।

पुरातन छात्र परिषद्

महाविद्यालय में पुरातन छात्र परिषद का गठन किया हुआ है, जिसके प्रभारी अधिकारी डा. श्रीमती विभा गुप्ता, डा. सुश्री नेहा गुप्ता, डा. श्रीमती ज्योति गुप्ता, श्रीमती अर्पणा जैन हैं पूर्व वर्षों में महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों का नियोजन (Placement) सम्बन्धी रिकार्ड रखा जाता है और परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त उपयोगी मार्गदर्शन एवं परामर्श छात्रों को प्रदान किया जाता है।

शुल्क-मुक्ति

इसका आधार छात्र की शैक्षिक योग्यता एवं उसके संरक्षक की आय होता है। शुल्क-मुक्ति के आवेदन-पत्र संदर्भ सूचना प्रसारित होने पर छात्र द्वारा भरे जाएँगे, तत्पश्चात् अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। जो अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए उपस्थित नहीं होंगे उन्हें शुल्क-मुक्ति नहीं मिलेगी। जिन छात्रों ने खेलकूद में अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लिया है उनके शुल्क-मुक्ति आवेदन-पत्र पर विशेष रूप से विचार किया जाएगा।

रेलवे कन्सेशन

यह सुविधा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रसारित नियमों के अनुसार दी जाती है। केवल उसी स्थान के लिए रेलवे कन्सेशन दिया जाएगा, जो प्रवेशार्थी ने अपने प्रवेश-पत्र में निवास स्थान के रूप में भरा है। उन स्थानों के लिए भी रेलवे कन्सेशन मिल सकेगा जहाँ किसी सरकारी नौकरी के लिए अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। इसके लिए साक्षात्कार-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

छात्रवृत्तियाँ

छात्रवृत्तियों का प्रबन्ध शासन के नियमानुसार महाविद्यालय द्वारा कराया जाता है। ये केन्द्र एवं राज्य सरकार से विशेष वर्गों के छात्रों को तथा विश्वविद्यालय एवं अन्य स्रोतों से सामान्य छात्रों को योग्यता के आधार पर दी जाती है (देखें पृष्ठ 10)। बरसरी तथा पुस्तक सहायता उन छात्रों को मिलेगी, जिन्होंने अधिक से अधिक अंक प्राप्त किए हों (परन्तु 50 प्रतिशत से कम न हों) और जिनके संरक्षक की वार्षिक आय 7200 रुपए से अधिक न हो।

राष्ट्रीय सेवा योजना

भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मन्त्रालय की योजना के अन्तर्गत छात्रों के समुचित विकास हेतु महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना भी संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर के छात्र-छात्राओं का चयन किया जाता है। योजना का लक्ष्य छात्रों में प्रेम भावना जाग्रत करना, उन्हें समाज-सेवा के प्रति प्रेरित करना, समाज के दलित वर्ग के उत्थान हेतु कार्य करने का अवसर प्रदान करना, शारीरिक श्रम का महत्व बताना तथा प्रौढ़ शिक्षा, वृक्षारोपण, परिवार नियोजन, मद्यनिषेध, अल्प बचत आदि कार्यक्रमों के विषय में जनता में जागृति उत्पन्न करना है। इस

छात्रों के लिए आवश्यक निर्देश एवं आचार संहिता

1. कॉलेज में छात्रों को पूर्ण अनुशासन बनाये रखना चाहिए। नियम की अवहेलना करने वाले, कॉलेज की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने वाले अथवा किसी प्रकार की अनुशासनहीनता के कार्य करने वाले छात्रों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा उन्हें कॉलेज से निष्कासित भी किया जा सकता है।
2. कॉलेज के प्रांगण में प्राचार्य की अनुमति एवं स्वीकृति के बिना कोई भी सभा संगठित आयोजित नहीं की जा सकेगी। यदि कोई छात्र इस प्रकार का कार्य करेगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
3. कॉलेज भवन को गन्दा करने अथवा दीवारों आदि पर लिखने के कार्य को अनुशासनहीनता का कार्य समझा जाएगा। ऐसे कार्य में प्रवृत्त होने वाले छात्रों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
4. महाविद्यालय परिसर में पान/तम्बाकू/गुटका/धूम्रपान का सेवन पूर्णतया वर्जित है।
5. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन लाना वर्जित है। मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए छात्र/छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी तथा मोबाइल फोन जब्त कर लिया जाएगा।
6. ऐसे सभी कार्यों से पृथक रहें जिनसे कॉलेज बदनाम हो और कॉलेज की बदनामी हो। यदि कोई तत्व अशान्ति पैदा करता है तो छात्रों को ऐसे तत्वों की स्पष्ट निन्दा करनी चाहिए।
7. कॉलेज में अपने साथ अपना परिचय-पत्र अवश्य लायें। यह कॉलेज के किसी भी अधिकारी द्वारा कभी भी देखा जा सकता है।
8. पुस्तकालय से ली गई पुस्तकें निश्चित अवधि के अन्दर लौटा देनी चाहिए अन्यथा विलम्ब दण्ड देना होगा।
9. निर्धारित तिथि तक अपना शुल्क अवश्य जमा करें।
10. कॉलेज कार्यालय में किसी कार्य से जाने पर पूर्ण शान्ति बनाए रखें।

परिचय-पत्र

सभी छात्र कॉलिज परिसर में पहचान के लिए अपना परिचय-पत्र गले में पहने रहेंगे अन्यथा उन्हें बाहरी छात्र समझकर उचित कार्यवाही की जाएगी।

उपस्थिति

1. कोई भी छात्र उस समय तक विश्वविद्यालय की परीक्षा के किसी भी विषय में नहीं बैठ सकेगा, जब तक उस विषय में सैद्धान्तिक (थ्यौरी) तथा प्रयोगात्मक (प्रैक्टीकल) कक्षाओं में अलग-अलग 75% उपस्थिति न हो।
2. उपस्थिति में 5% छूट संस्था के प्राचार्य महोदय तथा विशेष परिस्थिति में 10% छूट कुलपति महोदय स्वयं दे सकते हैं।
3. उपस्थिति की गणना शिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से होगी चाहे प्रवेश किसी भी तिथि को लिया हो।
4. यदि कोई छात्र 15 दिन तक कक्षा में अनुपस्थित रहेगा अथवा निर्धारित समय पर कॉलेज शुल्क देने में असमर्थ रहेगा, तो उसका नाम कॉलेज की नामावली से काट दिया जाएगा।
5. विद्यार्थी को अपनी उपस्थिति सम्बन्धित प्राध्यापकों से प्रति माह के प्रथम सप्ताह में ज्ञात कर लेनी चाहिए।

11. अंक-पत्रों तथा प्रमाण-पत्रों आदि की सत्य प्रतिलिपियों को प्रमाणित कराने के लिए निर्दिष्ट समय पर कॉलेज कार्यालय में सम्बन्धित लिपिक से सम्पर्क करें, जिसके द्वारा मुख्य प्रफेटर से सत्य प्रतिलिपियों को प्रमाणित करा दिया जाएगा। प्रमाणित प्रतिलिपियों की जिस दिन आवश्यकता हो उससे एक दिन पूर्व मूल एवं प्रतिलिपियों को कॉलेज कार्यालय में दे दें।

12. रोवर्स कन्सेशन के लिए निर्दिष्ट समय पर कॉलेज कार्यालय में सम्बन्धित लिपिक से सम्पर्क करें, जिसके द्वारा कन्सेशन के प्रपत्रों को सम्बन्धित अधिकारी से हस्ताक्षरित करा दिया जाएगा। ऐसे प्रपत्रों को भी जिस दिन आवश्यकता हो उससे एक दिन पहले हस्ताक्षर हेतु कॉलेज कार्यालय में दे दें।

13. जिन छात्रों को कॉलेज से छात्रवृत्ति के चैक मिलते हैं वे बैंक की कॉलेज शाखा में अपना खाता खोल लें तथा किसी प्राध्यापक या किसी अन्य व्यक्ति से अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करा कर बैंक से अपने चैक का भुगतान प्राप्त करें।

14. अपनी साईकिल, मोटर साईकिल या स्कूटर आदि का ताला लगाकर नियत स्थान पर रखें। अपनी साईकिल या मोटर साईकिल या स्कूटर आदि की सुरक्षा के लिए छात्र स्वयं उत्तरदायी होगा।

15. अध्ययन कक्षों, वरामदों और पुस्तकालयों में शान्ति बनाए रखें, अनावश्यक कोलाहल न करें। खाली घंटों में छात्रों को अपना खाली समय रीडिंग रूम या पुस्तकालय में व्यतीत करना चाहिए।

16. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना या इस कार्य के लिए सहायता देना गम्भीर अपराध माना जाएगा।

17. उपस्थिति के निर्धारित 75% से कम होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः विद्यार्थी अपनी उपस्थिति का स्वयं ध्यान रखें।

18. अपने प्राध्यापकों के साथ आदर का भाव बनाए रखें, तभी आप उनसे आवश्यक ज्ञान एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अपने साथी छात्रों एवं छात्राओं के प्रति भी सद्भावनापूर्ण एवं शिष्टतापूर्ण व्यवहार करें।

19. महाविद्यालय के छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अध्ययन एवं अनुशासन की दृष्टि से महाविद्यालय समय में अपने सम्बन्धियों एवं मित्रों को कॉलेज प्रांगण में साथ नहीं लाएँगे।

20. किसी भी साधारण नियमित कार्य के लिए अथवा किसी भी सामान्य समस्या के समाधान के लिए सीधे प्राचार्य के कार्यालय में न पहुँचें, उस कार्य से सम्बन्धित अधिकारी प्राध्यापक से मिलकर अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें।

–डा॰ संजय दत्त कौशिक
प्राचार्य

Uniform :

Boy	Girls
Pant - Black	Kurta - White
Shirt - White	Salwar - Black
Sweater/Blazer - Black	Sweater/Blazer - Black

महाविद्यालय में समस्त छात्र/छात्राओं को निम्नानुसार निर्धारित यूनिफार्म में आना अनिवार्य होगा।

सेल्फी : महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का प्रयोग करना एवं सेल्फी लेना पूर्णतया वर्जित है। मोबाइल का प्रयोग करने पर मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा तथा सम्बन्धित समस्त छात्र/छात्राओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसके अंतर्गत प्रवेश भी निरस्त किया जा सकता है।

आवश्यक सूचना

विश्वविद्यालय/शासन के नियमों, शुल्क आदि में यदि कोई परिवर्तन, संशोधन या परिवर्द्धन होता है तो, पूर्व उल्लिखित नियमों के अतिरिक्त, इन उप-नियमों को भी कार्यान्वित किया जाएगा, जो सभी के लिए मान्य होगा।